रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1646] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939
No. 1646] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का.आ.1857(अ).—एक प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3229 (अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नही हुए है;

और, अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में हंसूर तालुक में स्थित है 12º17'16 से 12º20'41 उत्तर अक्षांश तथा 76º22'43 से 76º28'51 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है और 13.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य में विभिन्न प्राणिजात जिनके अंतर्गत तेंदुआ, चित्तदारी हिरण, बनैला सूअर, भारतीय साही, भारतीय खरगोश, सामान्य नेवला, लोमड़ी, चकोर, कोबरा, धामिन, वाइपर आदि का आश्रय स्थल है;

और, अभयारण्य में शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन है जिनमें *सेंटालुम एलबम, एनोजैसस लेटिफोलिया, इम्बलिका ऑफिसिनालिस, फिकस स्पेसीज, हार्डविकिया बिनाटा, मिट्रागीना पर्विफ्लोरा, टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा, जिजीपस एसपीपी, कासिया फिस्तुला, डोंडोनिया विस्कोस, डॉयोस्पीरोस मेलोक्सीलोन, सीजीजियम क्यूमिनी, क्लोक्सीलोन स्वीटेनिया, अकासिया सुन्दा* आदि आते है, जिसमें संकटापन्न प्रजातियों में *सांतालुम एल्बम* (सैंडल) है;

और, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य में वर्ष 1992-93 के दौरान अभयारण्य से संलग्न 718.39 एकड़ राजस्व भूमि का अर्जन द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना की थी और रक्षा प्राधिकारियों ने संरक्षण के लिए अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा की बाड़ की है;

और, अभयारण्य में चराई का बहुत दबाव है क्योंकि यह बहुत से ग्रामों द्वारा घिरा हुआ है और 4.45 वर्ग किलोमीटर तक है वन भूमि (विक्षेत्र समझा गया और अधिसूचित वन भी शामिल है) के अभयारण्य के निकट स्थित है ;

और, अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2), खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 3.25 किलोमीटर की सीमा तक के विस्तार क्षेत्र को अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का कुल भौगोलिक क्षेत्र 44.82 वर्ग किलोमीटर (रक्षा अनुसंधान विकास संगठन क्षेत्रों को छोड़कर) अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1.0 किलोमीटर से 3.25 किलोमीटर तक परिवर्तित रूप से विस्तारित है। सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा और अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले 20 ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** में दी गई है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरुप तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए पर्यावरण-मित्र विकास को प्रोन्नत करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.—**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलेकस अथवा औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधियों तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के यथा लागु अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासीयों की निवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, है, जैसे:—

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और कि सुसंगत राज्य विधियों और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

IndiaCode

(ख) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के वनीकरण और आवास प्रत्यावर्तन के साथ प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.—**आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन.—**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, होटल और रिसोर्ट का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। परंतु उक्त अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व अभ्यांकित तथा पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात किए जाएंगें;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा विरासत संरक्षण योजना उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए तैयार की जाएगी और सौंदर्यपरक ऐसी आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक सौंदर्यपरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और परिवेश की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार किया जाएगा । पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए।

(7) **वायु प्रदूषण.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार में तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.—**पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट.—**ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टो का निपटान और प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित

किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा; और कार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थान पर पर्यावरण रीति से किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** - जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343(अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए किए गए प्रयास किया जाएगा ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या प्रकाशन के पश्चात, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) अगर यह आवश्यक समझे इस अधिसूचना उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) और उसमें किए गए संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का विनिर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले उच्चतम न्यायालय आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसार की जाएगी ।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण आदि कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	किसी भी नए या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी । हरित या श्वेत कृषि आधारित लघु उद्योगों सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण के रूप में वर्गीकृत उद्योगों को नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी की लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं : परंतु, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।

9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 4 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और (v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, या कृषि आधारित उद्योग देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग अनुज्ञात होंगे।
11.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी ।
12.	सूक्ष्म और छोटी हाइडल परियोजनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।

Unofficial

17.	बुनियादी ढांचों जिसके अंतर्गत नागरिक सुविधाएं भी है ।	लागू विधियों नियमों तथा विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नये सड़को का विनिर्माण ।	लागू विधियों नियमों तथा विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ किया जाएगा।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.—(1) केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 के 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन, इस अधिसूचना के प्रभावी उपबंधों की मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(i) प्रादेशिक आयुक्त, मैसूरू क्षेत्र, मैसूर -अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(iii) शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि -सदस्य;

(iv) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -सदस्य;

(v) प्रादेशिक अधिकारी, मैसूर, कर्नाटक राज्य प्रदूषण निंयत्रण बोर्ड -सदस्य;

(vi) राज्य के किसी ख्यातिप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिक विज्ञान का एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामर्दिष्ट एक प्रतिनिधि होगा -सदस्य;

(vii) मैसूर जिले का उपायुक्त -सदस्य;

(viii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मैसूर -सदस्य;

(ix) विधान सभा का सदस्य हंसरू -सदस्य;

(कर्नाटका राज्य सरकार, अन्य बातों के साथ जिसके अंतर्गत अध्यक्ष विधान सभा कर्नाटक की अनुज्ञा सहित यदि अपेक्षित हो, सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करते है)

(x) उपवन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, मैसूर -सदस्य सचिव।

6. निर्देश का निबंधन:—

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) समिति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हे सम्मिलित नही किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते है, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों की निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का संबद्ध कलक्टर या पार्क उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

IndiaCode

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

[फा. सं. 25/135/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर: अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा हागरनाहल्ली मंटी कोप्पलू गांव मार्ग त्रि-जंक्शन बिंदु से शुरू होती है। यह सीमा रेखा मार्ग के साथ साथ पूर्व दिशा से होते हुए सरवनाहल्ली गांव के प्रवेश द्वारा तथा शानुभोगनाहल्ली गांव तक पहुंचती है और यह सीमा-रेखा पहले उत्तर की ओर फिर पूर्व की ओर मुडती है और रंगय्याना कोप्पालु गांव को छूती है तथा मार्ग के साथ-साथ चलते हुए यम्मेकोप्पालु गांव तक पहुंचती है। उसके बाद यह यम्मेकोप्पालु बोलानहल्ली मार्ग के साथ- साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है तथा बोलनाहल्ली गांव के पास मैसूर- हसन मार्ग को छूती है।

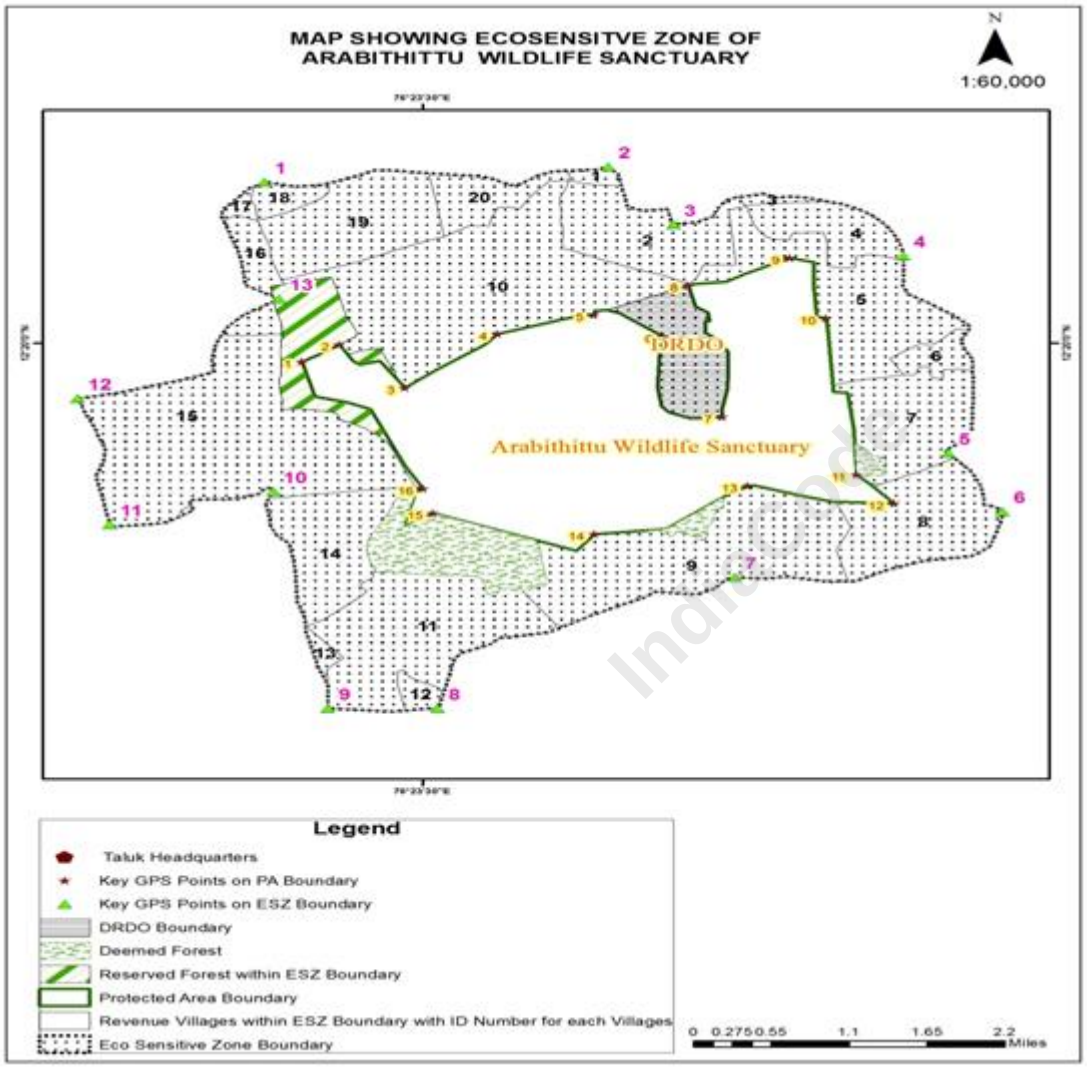
पूर्व: अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की पूर्वी सीमा बोलानाहल्ली गांव के पास मैसूर-हसन मार्ग से शुरू होती है तब यह सीमा–रेखा दक्षिण की ओर चलते हुए मैसूर-हसन मार्ग से गुजरती है तथा राज्य राजमार्ग पर पेट्रोल बंक के पास त्रि-जंक्शन बिंदु को छूती है तब यह रेखा पूर्व की ओर मुडती है तथा ओल्ड मैसूर हनसर मार्ग से गुजरती हुई दक्षिण की ओर मुड जाती है तथा मल्लीनाथुपरा गांव के निकट मैसूर- बंतवाल राज्य राजमार्ग को छूती है। उसके बाद यह रेखा राज्य राजमार्ग के साथ उत्तर पूर्व की ओर चलती हुई बिलिकेरे गांव के विस्तार क्षेत्र के बिंदु तक पहुचती है। फिर यह सीमा-रेखा सड़क के साथ साथ दक्षिण दिशा की ओर चलती है तथा जीनाहल्ली गांव पहुंचती है। और पूर्व दिशा की ओर मुड जाती है तथा डल्लालू गांव में बिलिकेर-गड्डीगे मार्ग पहुंचती है। उसके बाद यह सीमा रेखा मार्ग के साथ –साथ दक्षिण की ओर चलती है तथा डल्लालुकोप्पालु गांव को छूती है। उसके बाद यह रेखा दक्षिण की ओर चलते हुए बिलिकेरे- गड्डीगे मार्ग पर डल्लालुकोप्पालु त्रि-जंक्शन बिंदु पर पहुंचती है।

दक्षिण : अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा बिलिकेरे- गड्डीगे मार्ग पर डल्लालुकोप्पालु गांव के निकट त्रि-जंक्शन से शुरू होती है। फिर यह सीमा-रेखा पश्चिम दिशा की ओर मुड जाती है तथा राजकीय उच्चविद्यालय के निकट गगेनहल्ली द्वार का छूते हुए हालेपुरा केरे तक दक्षिण पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण दिशा की ओर मुड जाती है तथा हालेपुरा गांव को छूती है फिर मार्ग की ओर चलते हुए यह सीमा–रेखा हालपुरा, होसापुरा चल्लाहल्ली गांव के त्रि-जंक्शन बिंदु तक पहुंचती है। उसके बाद यह सीमा–रेखा सड़क के साथ-साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए होसापुर गांव को छूते हुए होसापुरा केरे बिंदु तक पहुंच जाती है।

पश्चिम: अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की दक्षिणी सीमा होसापुर केरे से शुरू होती है। फिर यह सीमा-रेखा सड़क के साथ–साथ उत्तर दिशा में मुड़कर मुदालुकोप्पालु गांव तक जाती है। उसके बाद यह रेखा पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा मरालय्याना कोप्पालु गांव तक पहुंचती हैतथा सड़क के साथ- साथ दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हुए डोडेगोवदानाकोप्पालु गांव तक पहुंचती है। फिर यह रेखा पश्चिम की ओर चलते हुए उद्दरू – बत्रीकुप्पे सड़क के त्रि-जंक्शन बिंदु तक पहुंचती है। उसके बाद यह रेखा सड़क के साथ-साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बत्रीकुप्पे गांव तक पहुंचती है। फिर यह रेखा बत्रीकुप्पे सरकारी अस्पताल के निकट मैसूर बंतवाल राज्य राजमार्ग (एस.एच-88) को छूती है। फिर यह राज्य राजमार्ग सड़क के साथ-साथ पूर्व दिशा की ओर मुड जाती है तथा कुप्पेकोलागट्टा खंड 4 घोषित क्षेत्र के स्टोन सं.223 पर आरक्षित वन को छूती है। फिर यह सीमा-रेखा इस वन सीमा के साथ-साथ पहले उत्तर दिशा की ओर मुड जाती है फिर यह सीमा रेखा पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुड जाती है और पैदल पथ की ओर कार्ट ट्रेक से गुजरतें हुए शुरूआती बिंदु पर पहुंचती है।

उपाबंध II

अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III

अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई डी	अक्षांश (दशमलव मिनट सेकंड)	देशांतर (दशमलव मिनट सेकंड)
1	12^0 19’50.21	76^0 22’45.62
2	12^0 19’59.31	76^0 22’59.31
3	12^0 19’36.38	76^0 23’23.53
4	12^0 20’5.05	76^0 23’57.57
5	12^0 20’15.16	76^0 24’33.10
6	12^0 20’3.40	76^0 24’58.74

7	12⁰ 19'20.79	76⁰ 25'20.34
8	12⁰ 20'30.85	76⁰ 25'7.76
9	12⁰ 20'45.42	76⁰ 25'45.36
10	12⁰ 20'13.37	76⁰ 25'58.61
11	12⁰ 18'50.12	76⁰ 26'9.99
12	12⁰ 18'34.62	76⁰ 26'23.77
13	12⁰ 18'44.07	76⁰ 25'29.70
14	12⁰ 18'18.42	76⁰ 24'33.39
15	12⁰ 18'29.46	76⁰ 23'33.86
16	12⁰ 18'42.67	76⁰ 23'30.29

अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई डी	अक्षांश (दशमलव मिनट सेकंड)	देशांतर (दशमलव मिनट सेकंड)
1.	12⁰ 21'25.92	76⁰ 22'31.77
2.	12⁰ 21'34.06	76⁰ 24'38.49
3.	12⁰ 21'3.16	76⁰ 25'2.55
4.	12⁰ 20'47.96	76⁰ 26'21.87
5.	12⁰ 19'1.70	76⁰ 26'43.78
6.	12⁰ 18'31.30	76⁰ 27'1.05
7.	12⁰ 17'55.63	76⁰ 25'25.01
8.	12⁰ 16'45.74	76⁰ 23'35.66
9.	12⁰ 16'45.75	76⁰ 22'52.28
10.	12⁰ 18'37.14	76⁰ 22'28.69
11.	12⁰ 18'23.67	76⁰ 22'34.81
12.	12⁰ 19'30.78	76⁰ 22'22.98
13.	12⁰ 20'25.39	76⁰ 22'19.71

IndiaCode

उपाबंध-IV

अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची का विवरण

मानचित्र की आई डी	ग्राम का नाम	तालुक का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश			देशांतर		
				डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	बोलनाहल्ली	हूँसुर	9.43	12	21	16.40	76	25	38.80
2	श्रवनहल्ली	हूँसुर	231.16	12	21	4.17	76	23	4.78
3	लाक्कुर	हूँसुर	12.93	12	21	28.56	76	24	33.96
4	रयनहल्ली	हूँसुर	33.86	12	21	17.32	76	22	39.02
5	हगरनहल्ली	हूँसुर	11.46	12	21	12.54	76	22	23.28
6	शानुभोगानहल्ली	हूँसुर	78.68	12	21	17.48	76	23	51.43
7	मरदुरु	हूँसुर	66.07	12	20	35.42	76	22	28.15
8	रंगौह्नकोप्पालु	हूँसुर	199.40	12	20	58.53	76	24	51.34

मानचित्र की आई डी	ग्राम का नाम	तालुक का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश			देशांतर		
				डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
9	कुप्पेकोलघट्टा	हूँसुर	583.71	12	20	29.24	76	23	50.48
10	होसहल्ली केवल	हूँसुर	105.75	12	21	0.79	76	25	59.66
11	मल्लिनाथपुरा	हूँसुर	285.18	12	20	23.06	76	26	5.61
12	बिलिकेरे	हूँसुर	39.83	12	19	52.99	76	26	39.08
13	बन्नई कुप्पे	हूँसुर	632.95	12	19	8.19	76	22	18.10
14	जीनहल्ली	हूँसुर	195.47	12	19	19.84	76	26	29.78
15	दल्लालु	हूँसुर	229.44	12	18	24.87	76	26	32.64
16	मदहल्ली	हूँसुर	197.32	12	18	13.40	76	22	55.72
17	मदहल्ली केवल	हूँसुर	13.70	12	17	14.95	76	22	53.06
18	थिप्पुर	हूँसुर	21.33	12	16	53.67	76	23	28.22
19	गगन हल्ली	हूँसुर	417.08	12	18	7.30	76	25	10.66
20	हलेपुरा	हूँसुर	354.50	12	17	25.58	76	23	27.56
		कुल	**3719.342**						

अराबीथिटु वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भूमि, अधिसूचित आरक्षित वन और समझा वन क्षेत्रों का वर्णन

क्र.सं	वन का नाम	जिला	तालुक	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	अधिसूचना सं. एवं दिनांक
1	अराबीथिटु राज्य वन	मैसूर	हूँसुर	1.45	अधिसूचना सं. आर-11453- एफ.138-04-7 दिनांक : 16-05-1905
2	समझा वन	मैसूर	हूँसुर	3.00	कुछ नहीं
3	रक्षा अनुसंधान विकास संगठन क्षेत्र	मैसूर	हूँसुर	2.91 (718.39 एकड़)	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1992-93 में अभयारण्य के निकट 718.39 एकड़ राजस्व भूमि का अधिग्रहण किया है। इसलिए, यह क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदी जोन का एक हिस्सा नहीं बना रहा है।
कुल				**7.63 वर्ग किलोमीटर**	

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।

IndiaCode

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2017

S.O. 1857(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3329(E), dated the 07th December 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Arabithittu Wildlife Sanctuary is situated in Hunsur taluk of Mysore district, in the state of Karnataka and lies between the Latitudes 12^0 17' 16'' to 12^0 20' 41'' North and longitudes 76^0 22' 43'' to 76^0 28' 51'' East and in spread over an area of 13.5 Square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary harbors varied fauna including Panther, Spotted Deer, Wild Boar, Indian Porcupine, Indian hare, Common Mangoose, Fox, Partridges, Cobra, Rat Snakes, Viper etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary has dry deciduous scrub forests which have *Santalum album, Anogeissus latiflolia, Emblica officinails, Ficus species,Hardwikia binata, Mitragyna parviflora*, *Terminalia tomentosa, Zizypus spp, Cassia fistula, Dodonea viscose, Diospyros melanoxylon, Syzygium cumini, Chloroxylon swietenia, Acacia sundra etc,. od which Santalum album* (Sandal) is endangered species*;*

AND WHEREAS, the Ministry of Defence, Government of India, has set up a Defence Research and Development Organisation establishment at Arabhithittu Wildlife Sanctuary by acquiring 718.39 acre revenue lands adjacent to the said Sanctuary during the year 1992-93 and the defense authorities have fenced the boundary of Arabithittu Wildlife Sanctuary for protection;

AND WHEREAS, the pressure of grazing on the said Sanctuary is high as it is surrounded by many villages and an extent of 4.45 Sq. km. of forest land (includes deemed and notified forests) lies adjacent to the said Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Arabithittu Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industry and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 kilometer to 3.25 kilometers from the boundary of Arabithittu Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka, as the Arabithittu Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco–sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-

(1) The total geographical area of the Eco-sensitive Zone is 44.82 square kilometers (excluding Defence Research Development Organisation areas) with an extent varying from 1.0 kilometer to 3.25 kilometers from the boundary of the Arabhithittu Wildlife Sanctuary and the description of boundaries is given in **Annexure-I.**

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II.**

(3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Arabithittu Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III.**

(4) The list of 20 villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs or rivers or channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism/ Eco-tourism.-

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority with emphasis on Eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 .

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder .

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government .

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—

(a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:—

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016 .

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco- sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.-The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change .

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under: —

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board Classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 4 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:-

		(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) promoted activities listed in this Notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using 100 percent imported wood stock
12.	Micro and Mini Hydel projects.	Regulated under applicable laws.
13.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.

24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign Boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted .
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:—

(i) The Regional Commissioner, Mysore Region, Mysore - Chairman;

(ii) Representative of the Department of Environment, government of Karnataka - Member;

(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka - Member;

(iv) One representative of Non Government Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three year in each case - Member ;

(v) The Regional Officer, Mysore, Karnataka State Pollution Control Board - Member ;

(vi) One expert in Ecology from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Karnataka for a term of three year in each case - Member;

(vii) Deputy Commissioner Mysore District - Member;

(viii) The Chief Executive Officer, Zilla Panchayath , Mysore - Member;

(ix) Member of Legislative Assembly-Hunsuru-Member - Member;

(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

(x) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysore -Member-Secretary.

6. Terms of Reference.—

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notifications.

(2) The tenure of the Committee shall be three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and forests number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-

sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearance under the provisions of the said notifications.

(4) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and forests number S.O. 1533 (E) dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive zone, except for the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the Concerned District Magistrate/Collector (s) or the Park Deputy Conservator of Forests, shall be competent of file complaints under section 19 of the Environment (protection) Act 1986 against any person who contravenes the provisions of the notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis .

(7) The Monitoring committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of Every year by the 30th June of that year to the chief Wildlife Warden of the state as per pro forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/135/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE –I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone around Arabithittu Wildlife Sanctuary.

North : The boundary of Eco-sensitive Zone to Arabithittu Wildlife Sanctuary begins from Hagarnahalli-Manti Koppalu village road tri-junction point. The line runs east direction along the road and reaches the Sravanahalli village gate and reaches the Shanubhoganahalli village and line moves towards north and then turns to east and touches the Rangayyana Koppalu village and passes along the road and reach the Yammekoppalu village. Then the line runs towards north direction along the Yammekoppalu- Bolanahalli road and touches the Mysore – Hassan Road near Bolanahalli village. In addition the Eco-sensitive Zone boundaries are extended to 1 Km. from the extreme points of the Sanctuary with respect to Hosahalli kaval village of Hunsur Taluk.

East: The Eastern boundary of Eco -Sensitive Zone of Arabithittu wildlife Sanctuary starting from Mysore – Hassan Road near Bolanahalli village. Then the line runs towards south passes along the Mysore- Hassan road and touches the Tri-junction point near Petrol Bunk on the State Highway. Then line turns towards east and passes through the old Mysore-Hunsur road and turns to south and touches the Mysore-Bantwal State highway road near Mallinathpura village. Then the line runs towards north east along the state highway road and reaches the point of extension area of Bilikere village. Then the line runs towards south direction along the road and reaches the Jeenahalli village and moving towards east direction and reaches the Bilikere-Gaddige road at Dallalu village Then the line runs towards south along the road and touches Dallalukoppalu village. Then the line moving towards south and reaches the tri-junction point near Dallalukoppalu village on Bilikere- Gaddige Road. In addition the Eco-sensitive Zone boundaries are extended to 1 Km. from the extreme points of the Sanctuary with respect to Mallinathapura & Bilikal villages of Hunsur Taluk.

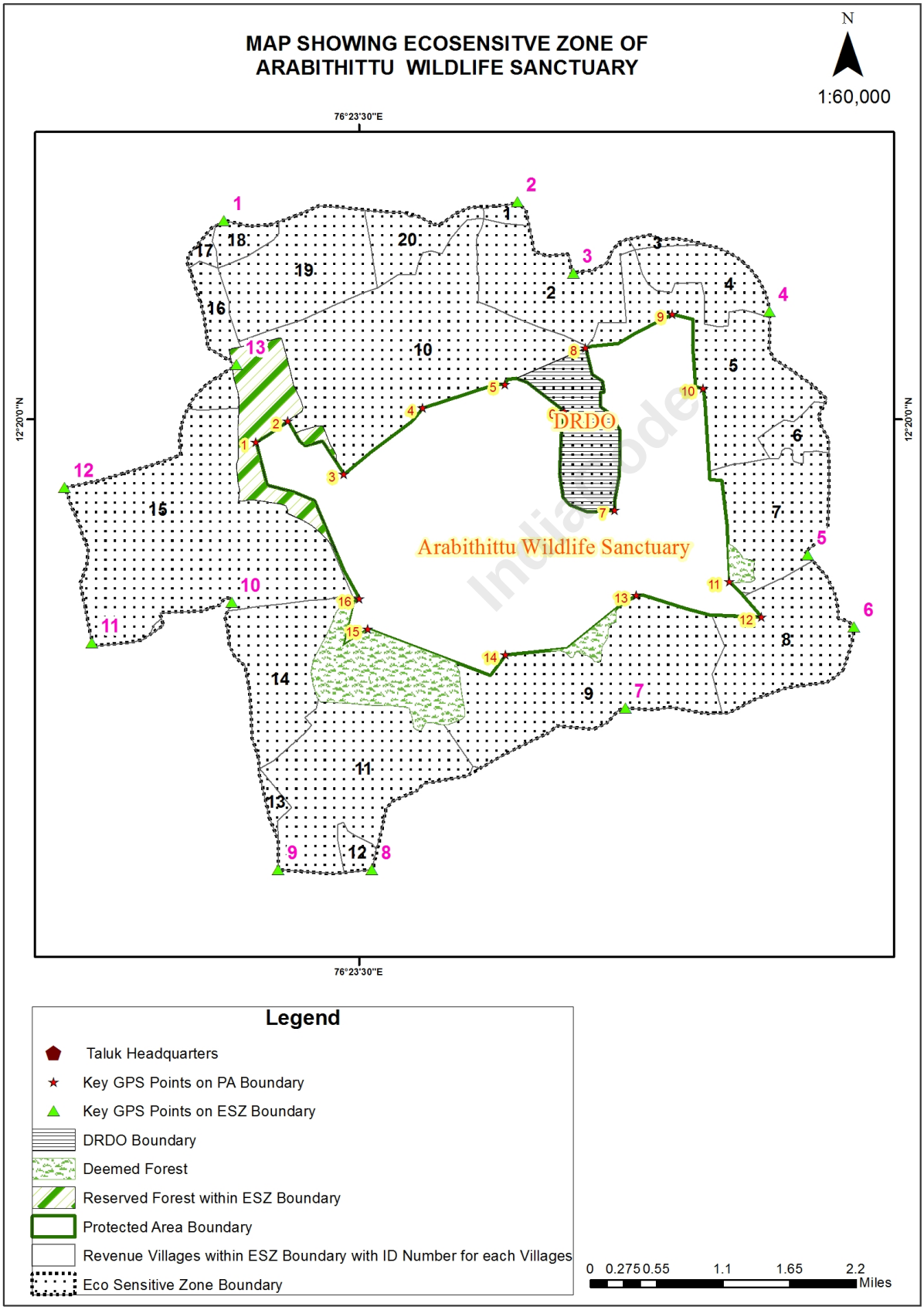
South: The Southern boundary of Eco-sensitive Zone of Arabithittu wildlife Sanctuary begins from tri-junction point of near Dallalukoppalu village on Bilikere- Gaddige road. Then the line turns towards west direction and touches the Gagenahalli gate near Govt. High school and then moving towards south west upto Halepura kere and turns to south direction and touches the Halepura village. Then the line moving towards road reach the Tri-junction point of Halpura, Hosapura Challahalli villages. Then line runs towards west direction along the road to touches the Hosapura village and moves upto Hosapura Kere Point.

West: The Western boundary of Eco Sensitive zone of Arabithittu wildlife Sanctuary begins from Hosapura kere point. Then the line turns towards north direction to reaches the Mudalukoppalu village, along the road. Then the line turns towards west direction and reaches the Maralayyana koppalu village and moves towards south west along the road and reaches the Doddegowdanakoppalu village. Then the line runs towards west and reaches the tri-junction point of Udduru-Bannikuppe road. Then the line runs towards north along the road and reaches the Bannikuppe village. Then the line touches the Mysore-Bantwal state highway (S.H.-88) road near Bannikuppe Govt. Hospital. Then the line turns towards east direction all along the state highway road and touches the reserved forest Stone No. 223 of Kuppekolagatta section 4 declared area. Then the line turns towards north direction all along this forest boundary. Then the line turns towards west direction, then the line turns towards north direction along the forest boundary. Then the line turns towards west and north direction, passes along the footpath and cart track and reach the starting point. In addition the Eco-sensitive Zone boundaries are extended to 1 Km. from the extreme points of the Sanctuary with respect to Bannikuppe and Maraduru villages of Hunsur Taluk.

IndiaCode

ANNEXURE-II

Map showing the Eco-sensitive Zone around Arabithittu Wildlife Sanctuary



ANNEXURE-III

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Arabithittu Wildlife Sanctuary.

Map ID	Latitude (Decimal Minutes Seconds)	Longitude (Decimal Minutes Seconds)
1	12^0 19’50.21	76^0 22’45.62
2	12^0 19’59.31	76^0 22’59.31
3	12^0 19’36.38	76^0 23’23.53
4	12^0 20’5.05	76^0 23’57.57
5	12^0 20’15.16	76^0 24’33.10
6	12^0 20’3.40	76^0 24’58.74
7	12^0 19’20.79	76^0 25’20.34
8	12^0 20’30.85	76^0 25’7.76
9	12^0 20’45.42	76^0 25’45.36
10	12^0 20’13.37	76^0 25’58.61
11	12^0 18’50.12	76^0 26’9.99
12	12^0 18’34.62	76^0 26’23.77
13	12^0 18’44.07	76^0 25’29.70
14	12^0 18’18.42	76^0 24’33.39
15	12^0 18’29.46	76^0 23’33.86
16	12^0 18’42.67	76^0 23’30.29

Table showing Geo Coordinates of major points on the on the Eco-sensitive Zone boundary around Arabithittu Wildlife Sanctuary.

Map ID	Latitude (Decimal Minutes Seconds)	Longitude (Decimal Minutes Seconds)
1.	12^0 21’25.92	76^0 22’31.77
2.	12^0 21’34.06	76^0 24’38.49
3.	12^0 21’3.16	76^0 25’2.55
4.	12^0 20’47.96	76^0 26’21.87
5.	12^0 19’1.70	76^0 26’43.78
6.	12^0 18’31.30	76^0 27’1.05
7.	12^0 17’55.63	76^0 25’25.01
8.	12^0 16’45.74	76^0 23’35.66
9.	12^0 16’45.75	76^0 22’52.28
10.	12^0 18’37.14	76^0 22’28.69
11.	12^0 18’23.67	76^0 22’34.81
12.	12^0 19’30.78	76^0 22’22.98
13.	12^0 20’25.39	76^0 22’19.71

ANNEXURE-IV

Details of the list of Villages falling within the Eco-sensitive Zone around Arabithittu Wildlife Sanctuary.

Map ID	Name of the Village	Name of the Taluk	Area in ha	Latitude			Longitude		
				Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
1	Bolanahalli	Hunsur	9.43	12	21	16.40	76	25	38.80
2	Shravanahalli	Hunsur	231.16	12	21	4.17	76	23	4.78
3	Lakkur	Hunsur	12.93	12	21	28.56	76	24	33.96

IndiaCode

Map ID	Name of the Village	Name of the Taluk	Area in ha	Latitude			Longitude		
				Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
4	Rayanahalli	Hunsur	33.86	12	21	17.32	76	22	39.02
5	Hagaranahalli	Hunsur	11.46	12	21	12.54	76	22	23.28
6	Shanubhoganahalli	Hunsur	78.68	12	21	17.48	76	23	51.43
7	Maraduru	Hunsur	66.07	12	20	35.42	76	22	28.15
8	Rangaiahnakoppalu	Hunsur	199.40	12	20	58.53	76	24	51.34
9	Kuppekolaghatta	Hunsur	583.71	12	20	29.24	76	23	50.48
10	Hosahalli Kaval	Hunsur	105.75	12	21	0.79	76	25	59.66
11	Mallinathapura	Hunsur	285.18	12	20	23.06	76	26	5.61
12	Bilikere	Hunsur	39.83	12	19	52.99	76	26	39.08
13	Banni Kuppe	Hunsur	632.95	12	19	8.19	76	22	18.10
14	Jeenahalli	Hunsur	195.47	12	19	19.84	76	26	29.78
15	Dallalu	Hunsur	229.44	12	18	24.87	76	26	32.64
16	Madahalli	Hunsur	197.32	12	18	13.40	76	22	55.72
17	Madahalli Kaval	Hunsur	13.70	12	17	14.95	76	22	53.06
18	Thippur	Hunsur	21.33	12	16	53.67	76	23	28.22
19	Gagenahalli	Hunsur	417.08	12	18	7.30	76	25	10.66
20	Halepura	Hunsur	354.50	12	17	25.58	76	23	27.56
		Total:	**3719.342**						

Details of the DRDO Lands, Notified Reserved Forest and Deemed Forest Areas within the Eco-sensitive Zone around Arabithittu Wildlife Sanctuary.

Sl. No.	Name of the Forest	District	Taluk	Area (Sq. Km.)	Notification No. & Date
1	Arabhithittu State Forest	Mysuru	Hunsur	1.45	Notification No. R-11453-ft.138-04-7 dated: 16-05-1905
2	Deemed forest	Mysuru	Hunsur	3.00	Nil
3	DRDO area	Mysuru	Hunsur	2.91 (718.39 Acres)	The Defence Research and Development Organisation has acquired 718.39 acres of revenue lands adjacent to the Sanctuary in the year 1992-93. Hence, the said area does not form a part of Eco-sensitive Zone.
Total				**7.63 Sq. Kms.**	

ANNEXURE-V

Performa of Action taken report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:—

1. Number and date of meetings;
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan;
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure;
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure;
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification. 2006: Details may be attached as separate Annexure;
7. Summary of complaints lodge under Section 19 of Environment (protection) Act, 1986;
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.06.13 16:16:47 +05'30'